न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांकः- /१२ निगरानी — R-1829-I/12

०१. पन्नालाल पिता दयाराम गुर्जर निवासी मण्ड़ीरोड़ नारायणगढ़ जिला मन्दसौर
०२. अमृतराम पिता हीरालाल माली निवासी होलीथड़ा रोड़ नारायणगढ़ तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर (म०प्र०)

...............आवेदकगण

विरूद्ध

०१. अम्बालाल पिता उँकारलाल कुलमी
०२. गणपतलाल पिता उँकारलाल कुलमी दोनों निवासीगण नारायणगढ़ जिला मन्दसौर
०३. म०प्र०शासन (म०प्र०)

...........अनावेदकगण

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला मन्दसौर के प्रकरण क्रमांक २१/निगरानी/११.१२ में पारित आदेश दिनांक २१/०३/१२ एवं अधीनस्थ तहसीलदार महोदय मल्हारगढ़ के प्रकरण क्रं० २१/अ-१३/१०-११ में पारित आदेश दिनांक १४/११/११ से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर नकल में लगे समय को कम करने पर पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करते है।

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अर्न्तगत धारा ५० म.प्र.भू.रा.संहिता

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्रं० १ व २ ने तहसीलदार महोदय मल्हारगढ़ के समक्ष धारा १३१, १३२, १३३ भू०रा०सं० में ओवदन प्रस्तुत कर भूमि सर्वे नं० २६०५/१, २६०५/२ पर आने जाने का रास्ता आवेदकगण ने रोक दिया इस पर आवेदकगण ने तहसीलदार महोदय के समक्ष धारा ३२ भू०रा०संहिता का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनावेदक ने आवेदन पत्र में कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस सर्वे नं० की भूमि पर अनावेदक ने रास्ता रोका है यह स्पष्ट नहीं है इसलिए अनावेदक का आवेदन प्रचलन योग्य नहीं होने से प्राथमिक द्वष्टि में निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि अधीनस्थ तहसीलदार महोदय मल्हारगढ़ के प्रकरण क्रं० ११/अ-१३२१०.११ के द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक १४.११.११ को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्व आवेदकगण ने अपर कलेक्टर महोदय के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रं० २१/११.१२ निगरानी पर स्थापित होकर दिनांक २१.०३.१२ को निरस्त कर दी गई जिसके विरूद्व यह निगरानी माननीय न्यायालय में निम्न आधारों पर प्रस्तुत है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1829-एक/12 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	